दिनांक 21.01.2026 को माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

(I) निदेशक, पंचायती राज विभाग

(II) अपर सचिव, पंचायती राज विभाग

(III) अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग

(IV) संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग

(V) मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन

2. सर्वप्रथम माननीय मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत PPT का अवलोकन किया गया।

(a) मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय सकल्प संख्या–4881 दिनांक–03.05.2023 द्वारा ₹4171.16 करोड़ की लागत से कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके निर्माण हेतु अबतक कुल ₹3127.2310 करोड़ की राशि क्रियान्वयन एजेंसी को आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान में ₹100.00 करोड़ आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। उक्त कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों के विरूद्ध 1979 में निविदा का प्रकाशन, प्रकाशित निविदा में से 1949 में एकरारनामा सम्पन्न, 1279 में कार्य प्रारंभ एवं 507 का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(b) इसी प्रकार भवन निर्माण विभाग को विभागीय संकल्प संख्या–1291 दिनांक 08.02.2024 एवं विभागीय राज्यादेश संख्या--53 (स्वी०) दिनांक–25.10.2024 द्वारा कुल 2615 (2165+450) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त भवनों के निर्माण हेतु कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹7160.79 करोड़ है, जिसके विरूद्ध भवन निर्माण विभाग को अबतक ₹2159.7144 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। कुल स्वीकृत 2615 पंचायत सरकार भवनों में से 1970 में कार्य

प्रारंभ, 370 में निविदा प्रक्रियाधीन, 252 फिनिसिंग स्टेज में एवं 375 का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों में से मात्र 1279 पचायत सरकार भवन में एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा 2615 पंचायत सरकार भवनों में से 1970 ग्राम पंचायतो में कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संदर्भ में माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि शेष पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि शेष निविदा का प्रकाशन कर एकरारनामा को एक माह में सम्पन्न कराते हुए कार्यादेश निर्गत किया जाय एवं इनका निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हुए निर्माण कार्य को समय–सीमा के भीतर पूर्ण कराई जाय।

(अनुपालनः– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

3. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निर्मित 367 पंचायत सरकार भवनों एवं भवन निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित 322 पंचायत सरकार भवनों का लोकार्पण किया गया है। उक्त भवनों में से स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 254 एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा 151 भवनों का ही हस्तांतरण किया गया है। साथ ही उक्त तिथि के उपरांत भी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 140 एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा 53 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण होने की सूचना विभाग को दी गयी है।

इस संदर्भ में माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि लोकार्पित/निर्मित पंचायत सरकार भवनों को नियमानुसार संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर हस्तांतरण करना सुनिश्चित किया जाय तथा हस्तांतरण प्रतिवेदन पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालनः– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

4. समीक्षा में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 138 ग्राम पंचायतों की भूमि एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 148 ग्राम पंचायतों की भूमि समस्याग्रस्त है। भूमि समस्याग्रस्त होने से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

लगातार....

इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एजेंसी के कार्यपालक अभियंता एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ पाक्षिक बैठक कर समस्याओं का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगें तथा बैठक की कार्यवाही की प्रति निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

(अनुपालनः–उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि क्रियान्वयन एजेंसी से विभाग को प्राप्त समस्याग्रस्त पंचायतों की सूची संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजी जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा विभाग स्तर से उपलब्ध करायी गयी सूची की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के उपरांत जिला पदाधिकारी वैसे ग्राम पंचायतों की सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें जिन ग्राम पंचायतों के भूमि समस्याओं का निराकरण किये जाने की संभावना नहीं है, ताकि उक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के संबंध में उच्च स्तरीय निर्णय लिया जा सके।

(अनुपालनः–पंचायती राज विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारी)

5. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि PRD Nischay Soft Portal पर नहीं की गयी है। साथ ही यह भी देखा गया कि कतिपय जिलों द्वारा PRD Nischay Soft Portal पर कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु निर्गत संकल्प के अनुसार प्रत्येक माह योजना के प्रगति प्रतिवेदन की प्रविष्टि उक्त पोर्टल पर संबंधित एजेंसी के कार्यपालक अभियंता द्वारा अनिवार्य रूप से की जानी है। उक्त प्रविष्टि के आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा राशि की विमुक्ति की जाएगी।

उपर्युक्त के संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि संकल्प में अंकित प्रावधान के अनुसार संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि PRD Nischay Soft Portal पर किये जाने के उपरांत ही पंचायती राज विभाग द्वारा राशि की विमुक्ति की जायेगी। अतः संबंधित एजेंसी के

मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया कि उक्त पोर्टल पर पंचायत सरकार भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जाय। यदि प्रगति की प्रविष्टि उक्त पोर्टल पर नहीं की जाती है तो संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग)

6. समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग को अवगत कराया गया कि विभाग स्तर से टीम गठित कर निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के स्थलीय जाँच करायी जा रही है। जाँच के क्रम में कतिपय अनियमितताएं पायी जाती हैं जिसके संदर्भ में संबंधितों पर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया है। परंतु इस संबंध में दोनों एजेंसियों द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी गयी प्रतिवेदनों की संख्या शून्य है।

उपर्युक्त के संदर्भ में माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जाँचोंपरांत उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं का निराकरण कराते हुए सभी संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्रवाई से पंचायती राज विभाग को एक सप्ताह के अंदर अवगत करायी जाय।

(अनुपालनः– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/भवन निर्माण विभाग)

7. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवनों हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (BLADA) को अबतक आवंटित कुल ₹3127.2310 करोड़ की राशि में से ₹1924.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। भवन निर्माण विभाग को आवंटित कुल ₹2159.7144 करोड़ की राशि के विरूद्ध विभाग को कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र की

अनुपलब्धता की स्थिति में राशि आवंटन की कार्रवाई बाधित हो सकता है। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भवन निर्माण विभाग को आवंटित राशि को वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति से पूर्व शत–प्रतिशत नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। राशि प्रत्यर्पण की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की होगी।

(अनुपालनः–स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/भवन निर्माण विभाग)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः2प/पं०स०भ०–09–04/2023/4351/पं0रा0 पटना, दिनांक 13/3/26
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः2प/पं०स०भ०–09–04/2023/4351/पं0रा0 पटना, दिनांक 13/3/26
प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः2प/पं०स०भ०–09–04/2023/4351/पं0रा0 पटना, दिनांक 13/3/26
प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः2प/पं०स०भ०–09–04/2023/4351/पं0रा0 पटना, दिनांक 13/3/26
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक:2प/पं०स०भ०–09–04/2023/4351/.....पं0रा0 पटना, दिनांक 13/3/26

प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/3/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव